



**दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY**

No.P(R)MC-4/SBF

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office  
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch  
चेन्नै/Chennai - 600 003  
दि./ Dated: 26-07-2017

**आर बी ई सं/RBE No.65 / 2017**

**पी बी सी सं/ PBC No.108 / 2017**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /  
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units,  
etc.,

(As per mailing list -'A')

**विषय/Sub:Ayurvedic / Homoeopathic dispensaries under Staff Benefit  
Fund (SBF).**

\*\*\*\*\*

A copy of Railway Board's letter No.E(W)2016/ISM/9 dated 07-07-2017  
(RBE No.65 on the above subject is enclosed for information, guidance and  
necessary action.

Railway Board's letter dated 23-07-2014 and 18-05-2015 referred  
therein has been circulated as PBC 118 / 2014 and PBC No. 61 / 2015  
respectively.

संलग्न/Encl: as above

(V.SRINIVASAN)  
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम  
Senior Personnel Officer/Rules  
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी  
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU  
The Genl Secy / AISCSTREA  
The Genl Secy / AIQBCREA

The Genl Secy / NFIR

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार  
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय  
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. E(W)2016/ISM/9

New Delhi, dated 07.07.2017

The General Managers  
All Indians Railways and  
Production Units.

महाप्रबंधक का कार्यालय  
GENERAL MANAGER'S OFFICE

13 JUL 2017

Sub:- Ayurvedic/Homoepathic dispensaries under Staff Benefit Fund (SBF).  
दक्षिण रेलवे Southern Railway  
Chennai-600 003

Ref:- This Ministry's letters No.E(W)2013/ISM/1 dated 23.07.2014 and 18.05.2015.

The issue regarding enhancement in the amount of honorarium admissible to the Ayurvedic/Homeopathic Consultants (engaged by SBF Committees on contract basis) and also the subsidy on medicines in respect of Ayurvedic/Homeopathic dispensaries being run under the SBF was under consideration of this office.

2. The matter has been examined in the detail and it has now been decided that revised monthly honorarium for Ayurvedic/ Homeopathic Consultants and monthly subsidy on medicine on the Ayurvedic/ Homeopathic dispensaries being run by the Staff Benefit Fund Committee will be as follows:-

**Revised monthly honorarium**

8 hrs. duration      4 hrs. duration

(a) **Ayurvedic/Homeopathic Consultants:** ₹ 35,500/-      ₹ 22,500/-

(b) **Monthly Subsidy on Medicines:** ₹ 12,000/-

3. Revised honorarium for Ayurvedic/Homeopathic Dispensers will be issued separately

4. Annual allotment for "Indigenous Systems of Medicine" under SBF (under which Homeopathic and Ayurvedic dispensaries function) at ₹ 36 per capita being inadequate to meet the increase in requirement of funds on account of the above revision in the honorarium, the additional expenditure necessitated due to revision under these orders would also be met through re-appropriation from the head "Medical Services" as additional ad hoc contribution to the SBF, and the Medical Budget would be suitably augmented from Revenues. CPOs would advise CMD s about the additional funds required on this account so that the same could be reflected in the budgetary estimates.

5. These aforesaid revision will take effect from the date of issue of these orders.

6. This issues in consultation with the Health Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railway.



**(Sunil Kumar)**  
**Director Estt.(Welfare)**  
**Railway Board**

No. E(W)2016/ISM/9

New Delhi, dated 07-07-2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(डब्ल्यू)2016/आईएसएम/9

नई दिल्ली, दिनांक 07/07/2017

महाप्रबंधक  
सभी भारतीय रेलें एवं  
उत्पादन इकाइयां

विषय: कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ) के अंतर्गत आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां।

संदर्भ: इस मंत्रालय के दिनांक 23.07.2014 और 18.05.2015 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2013/आईएसएम/1.

आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सकों (संविदा आधार पर एसबीएफ समिति द्वारा नियुक्त) को देय मानदेय की राशि बढ़ाने और कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत चलाए जा रहे आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों के संबंध में औषधियों पर सब्सिडी देने से संबंधित मामले पर भी इस कार्यालय में विचार किया गया है।

2. इस मामले की विस्तार से जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सकों का संशोधित मासिक मानदेय और कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों की औषधियों पर मासिक सब्सिडी निम्नानुसार होगी:

		संशोधित मासिक मानदेय	
		8 घंटे की अवधि	4 घंटे की अवधि
(क)	आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सक	₹ 35,500/-	22,500/-
(ख)	औषधियों पर मासिक सब्सिडी	₹ 12,000/-	

3. आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषध वितरकों के लिए संशोधित मानदेय अलग-अलग जारी किए जाएंगे।

4. कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत "औषधि की स्वदेशी प्रणाली" (जिसके अंतर्गत होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां कार्य करती हैं) के लिए प्रति व्यक्ति ₹ 36/- का वार्षिक आबंटन मानदेय में उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप अपेक्षित निधि में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होने के कारण इन आदेशों के अंतर्गत किए गए संशोधन के कारण आवश्यक अतिरिक्त व्यय को भी कर्मचारी हित निधि के लिए अतिरिक्त तदर्थ अंशदान के रूप में "चिकित्सा सेवा" शीर्ष से पुनर्विनियोजन के माध्यम से पूरा किया जाएगा और राजस्व से चिकित्सा बजट में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाएगी। मुख्य कार्मिक अधिकारी इस संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि के बारे में मुख्य चिकित्सा निदेशकों को सूचित करेंगे ताकि उसे बजटीय अनुमान में दर्शाया जा सके।

5. उपर्युक्त संशोधन इन आदेशों के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. इन आदेशों को रेल मंत्रालय के स्वास्थ्य निदेशालय से परामर्श करके और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

  
(सुनील कुमार)

निदेशक स्थापना(कल्याण)

रेलवे बोर्ड.

सं. ई(डब्ल्यू)2016/आईएसएम/9

नई दिल्ली, दिनांक 07.07.2017

सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली  
(40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)



कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(डब्ल्यू)2016/आईएसएम/9

नई दिल्ली, दिनांक 07.07.2017